(331)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रांक:-सी-99 /विधि-2/2008-09 दिनांक:- 04.11.2008

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-स्टाम्प शुल्क की दरों में कमी।

अवगत कराना है कि शासन की अधिसूचना संख्या क0 नि0-5-2758/11-2008-500(159)-2006, लखनऊ, 10 जुलाई, 2008 की प्रति शासन से प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1-ख के अधीन अनुच्छेद 40 वर्ग की लिखितों पर प्रभार्य शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। अधिसूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार अधिसूचना सं0 क0नि0-5-2758/11-2008-500(159)-2006, लखनऊ, 10 जुलाई, 2008 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(नवल किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रबन्धक(विधि)/वरिष्ठ प्रबन्धक(विधि) सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डल प्रभारी, सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक(प्रशिक्षण), प्रशिक्षण केन्द्र, 10 माल एवेन्यू, लखनऊ।

उप महाप्रबन्धक (विधि)

(330)

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्याः-क0 नि0-5-2758/11-2008-500(159)-2006
लखनऊ, 10 जुलाई, 2008

अधिसूचना
आदेश

प0आ0-497

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1-ख के अधीन निम्नलिखित वर्ग की लिखितों पर प्रभार्य शुल्क में छूट प्रदान करते हैः-

(1)-अनुच्छेद 5-करार या करार का ज्ञापन-

(ख-1) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है, जहाँ, कब्जा का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण-पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया किया गया हो धनराशि की उस सीमा तक जो इस करार में दी गयी प्रतिफल की धनराशि के आधे भाग की रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपये अथवा उसके भाग पर चालीस रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो,

(2)-अनुच्छेद 35-पट्टा, जिसके अनतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई करार है-

(क) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (ख) (i) और (ग) (i) धनराशि की उस सीमा तक जो भाटक, जुर्माना या प्रीमियम या आग्रिम धन की रकम या मूल्य, जैसी स्थिति हो, पर प्रत्येक एक हजार या उसके भाग पर बीस रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो।

(3)-अनुच्छेद 40-जो {हक विलेखों के निक्षेप, पणयम् या गिरवी (सं0 6),} पोत बन्ध-पत्र (सं0 16), फसल का बन्धक (संख्या 41) जहाजी माल बन्धपत्र (सं0 56), या प्रतिभूति बंधपत्र (सं0 57) से सम्बन्धित करार नहीं है-

(एक) खण्ड (क) में धनराशि की उस सीमा तक जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपया या उसके भाग पर बीस रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो,

(दो) खण्ड (ख) में धनराशि की उस सीमा तक जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपया या उसके भाग पर पॉच रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो,

(तीन) खण्ड (ग) में धनराशि की उस सीमा तक जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बराबर प्रतिफल की धनराशि पर प्रत्येक एक हजार रूपया या उसके भाग पर पॉच रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो।

प्रमाणित प्रतिलिपि

आज्ञा से,
गोविन्दन नायर
प्रमुख सचिव।

(अनिल कुमार)
उप महाप्रबन्धक (विधि)

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. Ka. Ni.-5-2758/XI-2008-500(159)-2006, dated July 10, 2008, for general information :

No. Ka. Ni.-5-2758/XI-2008-500(159)-2006,
Dated Lucknow, July 10, 2008,

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section(1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), and in partial modification of notifications issued in this behalf the Governor is pleased to remit with effect from the date of Publication of this notification in the Gazette, the duty chargeable, on the following class of instruments under Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899):-

(1). Article 5. Agreement or memorandum of an agreement-

(b-1) if relating to the sale of an immovable property where possession is not admitted to have been delivered nor is agreed to be delivered without executing the conveyance, to the extent of the amount that exceeds the amount of duty calculated at the rate of Rs. forty for every one thousand rupees or part thereof, on one half of the amount of consideration as set forth in the agreement.

(2). Article 35. Lease, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sublet-

(a) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (b) (i) and (c) (i) to the extent of the amount that exceeds the amount of duty calculated at the rate of Rs. twenty for every one thousand rupees or part thereof on the amount or value of the rent, fine or premium or advance, as the case may be, chargeable with duty.

(3). Article 40. Mortgage-deed not being an agreement relating to Deposit of Title-deeds, pawn or pledge (No. 6) Bottomary Bond (No. 16), Mortgage of a Crop (No. 41) Respondentia Bond (No. 56) or Security Bond (No. 57)-

(i) in clause (a) to the extent of the amount that exceeds the amount of duty calculated at the rate of Rs. twenty for every one thousand rupees on the amount secured by such deed,

(ii) in clause (b) to the extent of the amount that exceeds the amount of duty calculated at the rate of Rs. five for every one thousand rupees or part thereof on the amount secured by such deed,

(iii) in clause (c) to the extent of the amount that exceeds the amount of duty calculated at the rate of Rs. five for every one thousand rupees or part thereof on the amount of consideration equal to the amount secured by such deed,

By order.
GOVINDAN NAIR
Pramukh Sachiv.

Attested Copy

(Anil Kumar)
Deputy General Manager (Law)